"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग. सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2002—भाद्र 22, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-2-13/2001/1-8/स्था.—श्री टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, दिनांक 1-8-2002 से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्य भी अतिरिक्त रूप से संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-1-2/2002/1-8.—श्री जे. एस. दीक्षित, गप्रसे. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2002

शुद्धी-पत्र

क्रमांक एफ-2-7/2002/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-8-2002 जो श्री तपेश कुमार झा से संबंधित है, की प्रथम पंक्ति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक/स./ऊवि/2348.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि शासकीय प्रणालियों में तथा शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी" इकाइयां (जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा पृथक् से परिभाषित किया जायगा) जिनके द्वारा 150 के.व्ही.ए. क्षमता तक के विद्युत् उत्पादन सेट/शक्ति संयंत्र द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत् शक्ति का उत्पादन किया जाएगा, को विद्युत् उत्पादन के दिनांक से विद्युत् शुल्क के संपूर्ण संदाय से पूर्णतः छूट प्रदान करता है. यदि उद्योग द्वारा उनकी आवश्यकता से अधिक विद्युत् उत्पादित करता है और उसका उपयोग अन्य उद्योग में करता है अथवा बेचता है, तो इस पर विद्युत् शुल्क में छूट नहीं मिलेगी.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक/स./ऊवि/2350.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों को, व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक, विद्युत् शुल्क के भुगतान से, एतद्द्वारा छूट देती है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक/स./ऊवि/2352.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि शासकीय प्रणालियों में तथा शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, समस्त नए स्थापित होने वाले "सूचना प्रौद्योगिकी" इकाइयों (जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा पृथक् से परिभाषित किया जायगा) को, व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक, विद्युत् शुल्क के भुगतान से, एतद्द्वारा छूट देती है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2002

क्रमांक सचिव/ऊवि/2370.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी विनिधान वाले मेगा उद्योग को दीर्घकालीन स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य में नए स्थापित होने वाले समस्त "मेगा उद्योगों" (स्थाई परिसंपत्ति पर रु. 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्योग) को राज्य में व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक, विद्युत् शुल्क के भुगतान से, एतद्द्वारा छूट देती है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2002

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश.

क्रमांक 2714/स./ऊ.वि./2002.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2637 दिनांक 31-10-2001 द्वारा अधिसूचित राज्य शासन की ऊर्जा नीति के अनुक्रम में राज्य में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश घोषित करता है :—

1. **केप्टिव पावर प्लांट से आशय :**—केप्टिव पावर प्लांट से आशय किसी उद्योग द्वारा सामान्यत: स्वयं के उपयोग हेतु स्थापित विद्युत उत्पादन प्लांट, जिसमें जनरेशन सेट भी शामिल है, से है.

2. **केप्टिव पावर प्लांट की पात्रता :**—केप्टिव पावर प्लांट लगाने की पात्रता ऐसे उद्यमी को होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का उपभोक्ता (उच्च दाब अथवा निम्न दाब) हो एवं जिस पर विद्युत मण्डल की कोई राशि बकाया न हो.

3. **केप्टिव पावर प्लांट की क्षमता :**—राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों द्वारा विस्तार किए जाने, जिससे राज्य में अतिरिक्त पूंजी निवेश तथा उद्योग की क्षमता में वृद्धि होगी, की दशा में उनकी संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक सीमा तक केप्टिव पावर प्लांट लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी. किन्तु राज्य के बाहर बिजली बेचने की दशा में अतिरिक्त रूप से आवश्यक सीमा तक अनुमति दी जा सकेगी.

4. **केप्टिव पावर प्लांट की स्वीकृति :**—प्रस्तावित केप्टिव पावर प्लांट की क्षमता 25 मेगावाट तक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी तथा क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होने की स्थिति में अनुमति जारी करने के पूर्व केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

5. केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य में स्थित किसी दूसरे उद्यमी (थर्ड पार्टी) को विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन यदि केप्टिव पावर प्लांट धारक राज्य के बाहर विद्युत विक्रय करना चाहता है, तो उसे राज्य विद्युत मण्डल के पारेषण प्रणाली के माध्यम से तकनीकी क्षमता अनुसार व्हीलिंग की अनुमति छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात् दी जाएगी.

6. यदि केप्टिव पावर प्लांट धारक स्वयं की किसी अन्य इकाई (सिस्टर कंसर्न), जिसकी पात्रता का निर्धारण राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाएगा, को विद्युत आपूर्ति करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जावेगी. यदि यह आपूर्ति मण्डल के पारेषण एवं वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी तो मण्डल के पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए केप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता द्वारा मण्डल को निर्धारित व्हीलिंग प्रभार प्रति यूनिट की दर से देय होगा.

7. केप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा उत्पादित बिजली में से किसी भी कारण से आधिक्य बिजली होने की दशा में केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को उसके संयंत्र से उत्पादित विद्युत को राज्य के बाहर विक्रय की अनुमति दी जाएगी किन्तु इसके लिए क्रेता ढूंढने का कार्य केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को ही करना होगा. तकनीकी रूप से संभव होने पर मण्डल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य के बाहर विक्रय के लिए उपभोक्ता को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा परन्तु इसके लिए केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को मण्डल द्वारा निर्धारित प्रभार एवं ऊर्जा ह्रास (क्षरण) आदि के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा.

8. ऐसे उद्योग जिनके द्वारा पूर्व में ही केप्टिव पावर प्लांट लगाए गए हैं एवं जिन्हें थर्ड पार्टी को विक्रय की अनुमति दी गई है, को यह सुविधा इस हेतु उनके द्वारा किए गए विद्युत विक्रय अनुबंध की अवधि के लिए ही प्राप्त होगी.

9. केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रय करने की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु राज्य

विद्युत मण्डल द्वारा आवश्यकता की दशा में केप्टिव पावर प्लांट से विद्युत क्रय का प्रथम अधिकार (First right) मण्डल का होगा. क्रय की दर का निर्धारण अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाली बिजली की दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

10. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता अथवा व्हील्ड पावर उपभोक्ता को मण्डल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए मण्डल तथा उनके बीच निष्पादित अनुबंध के तहत संविदा मांग घटाने अथवा ब्रढ़ाने की स्वतंत्रता होगी लेकिन इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत मण्डल से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

11. **केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क** :— केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क (Electricity duty) जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जाएंगे, वह देय होंगे. पूर्व में दी गई छूट निर्धारित अवधि के लिए जारी रहेंगी एवं तत्पश्चात् समय-समय पर प्रभावशील दरों के अनुसार विद्युत शुल्क देय होगा.

12. **केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर उपकर** :—केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा विकास उपकर (Energy Development Cess) देय होगा.

13. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता यदि अपने संयंत्र को मण्डल की प्रणाली से समानांतर रखकर विद्युत उत्पादन करता है तो उसे विद्युत के आयात एवं निर्यात के मापन के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता का मीटर स्वयं के व्यय पर इंटर कनेक्टिंग पाइंट पर लगाना होगा. यदि उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का आर.के.व्ही.एच. (रिएक्टिव पावर) की आपूर्ति मण्डल की प्रणाली से प्राप्त करता है तो उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित आर.के.व्ही.एच. प्रभार से पृथक् देना होगा.

14. केप्टिव पावर प्लांट से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की प्रणाली से जोड़ने के लिए होने वाले व्यय का वहन केप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा किया जाएगा.

15. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता/उद्यमी को किसी भी प्रकार की ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा नहीं होगी.

16. केप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरांत उद्यमी द्वारा प्लांट की स्थापना अधिकतम 3 से 5 वर्ष की अवधि, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल निर्धारित करेगा, के अंदर किया जाना आवश्यक होगा.

17. जिन उपभोक्ताओं को वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति मण्डल द्वारा की जा रही है, यदि वे आपात स्थिति के लिए डी.जी. सेट लगाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे डी.जी. सेट स्टेण्ड बाई के रूप में, आवश्यक सीमा तक लगाने की अनुमति विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दी जा सकेगी.

18. उपभोक्ता के स्वयं के द्वारा उत्पादित विद्युत के मापन के लिए उच्च गुणवत्ता एवं मापदण्ड का मीटर स्वयं के व्यय पर विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप लगाना होगा ताकि उसके द्वारा समय-समय पर उत्पादित विद्युत की समीक्षा की जा सके तथा माहवारी रीडिंग भी ली जा सके.

19. केप्टिव पावर प्लांट धारक उद्योगों द्वारा सिस्टर कंसर्न इकाई को राज्य विद्युत मण्डल की विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत आपूर्ति करने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्हीलिंग प्रभार व शर्तें प्रभावशील होगी.

20. **वैधानिक आवश्यकताएं एवं स्वीकृतियां** :— केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उद्यमी को नियमानुसार सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना होगी. उसे भूमि, ईंधन आपूर्ति एवं जल आपूर्ति आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी.

21. **अनुमति का निरस्तीकरण** :— किसी उद्यमी/उपभोक्ता द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने, विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तुत अनुमति की शर्तों का पालन नहीं करने, विद्युत प्रदाय के संबंध में मण्डल के साथ निष्पादित अनुबंध का उल्लंघन करने आदि की दशा में केप्टिव पावर प्लांट संबंधी अनुमति निरस्त की जा सकेगी और ऐसे उपभोक्ता/उद्यमी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

उक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 2727/सचिव/ऊ.वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम,1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत निम्नलिखित 19 (उन्नीस) उच्च दाब उपभोक्ताओं को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये आवंटन के अनुसार मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर को उनके 6 मेगावाट स्थापित क्षमता के विद्युत संयंत्र जो सिरगिटी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला बिलासपुर में स्थित है से उत्पादित

विद्युत के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक (1)	कंपनी का नाम (2)	थर्ड पार्टी विक्रय हेतु आवंटित अधिकतम यूनिट प्रतिमाह (लाख यूनिटों में) (3)
1.	मेसर्स सुनील पॉली पैक लिमिटेड उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-सी रायपुर (छ. ग.).	1.80 लाख
2.	मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा. लि. 521/सी उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स रायपुर (छ. ग.).	0.60 लाख
3.	मेसर्स वंदना इस्पात लिमिटेड प्लाट नं. 6 सेक्टर-ई उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	4.10 लाख
4.	मेसर्स आर. आर. इस्पात लिमिटेड 490/ए उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	2.70 लाख
5.	मेसर्स वंदना इण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नं. 606 उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	4.70 लाख
6.	मेसर्स वंदना उद्योग लिमिटेड प्लाट नं 261 उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	1.50 लाख
7.	मेसर्स वंदना रोलिंग मिल्स लिमिटेड, प्लाट नं. 58, सेक्टर-डी उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया	0.63 लाख
8.	मेसर्स रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	1.80 लाख
9.	मेसर्स कमल साल्वेंट एक्स-ट्रेक्शन जी.ई. रोड, सोमनी, राजनांदगांव.	1.80 लाख
10.	मेसर्स पंकज आक्सीजन लिमिटेड उरला, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	0.90 लाख
11.	मेसर्स आर. के. स्ट्रक्चर	1.80 लाख
12.	मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रीयल प्राईवेट लिमिटेड, उरला, रायपुर.	0.80 लाख
13.	मेसर्स साकेत इण्डस्ट्रीयल गैसेस लिमिटेड, उरला, रायपुर.	0.40 लाख
14.	मेसर्स हनुमान एग्रो ग्राम-परागांव नवापारा.	6.64 लाख
15.	मेसर्स वंदना ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड उरला सिलतरा, रायपुर.	3.15 लाख
16.	मेसर्स रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड उरला, रायपुर.	1.35 लाख
17.	मेसर्स हाईटेक एब्रेसिव लिमिटेड उरला, रायपुर.	2.60 लाख
18.	मेसर्स सूर्या वायर्स प्राईवेट लिमिटेड, भनपुरी, रायपुर.	0.80 लाख
19.	मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड, उरला, रायपुर.	1.35 लाख
		कुल योग 39.42 लाख यूनिट

2. उक्त अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं को आवंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नहीं होगी किन्तु विद्युत विक्रय की कुल मासिक मात्रा यथा 39.42 लाख यूनिट प्रतिमाह अपरिवर्तनीय रहेगी.

3. विद्युत मण्डल के निर्दिष्ट पत्र में अधिरोपित तथा इस अधिसूचना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर शासन द्वारा दी गई यह मंजूरी स्वत: समाप्त हो जायेगी.

4. यह अधिसूचना/सूचना 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील माना जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2002

क्रमांक/सचिव/छराविम/अधिसूचना/1757.—यह कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के पालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने विद्युत उत्पादन गृहों/विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने तथा राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों एवं विद्युत उपकेन्द्रों के बीच अति उच्च दाब लाइनों द्वारा अन्तरसंपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अति उच्च दाब पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु कुछ पारेषण परियोजनाएं विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अंतर्गत तैयार की है :—

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत इन परियोजनाओं को अधिसूचित किया जाना है, ताकि इनमें अभिरुचि रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी अथवा अन्य व्यक्तियों को सूचना मिल सके और यदि उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपना आपत्ति-पत्र प्रस्तुत कर सकें. अत: अब मंडल इन परियोजनाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करता है :—

1. **नाम** :— ये परियोजनाएं 220 के. व्ही. एवं 132 के. व्ही. लाइनों, उपकेन्द्रों एवं संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनाएं कहलायेंगी.

2. **क्षेत्र** :— विभिन्न परियोजनाओं का क्षेत्र निम्नानुसार है :—

(अ) (i) गुरूर जिला दुर्ग में एक 220 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना :—

(अ) ट्रांसफार्मर क्षमता 220/132 के. व्ही.-160 एमव्हीए.-1 नग

(ब) ट्रांसफार्मर क्षमता 132/33 के. व्ही.-40 एमव्हीए.-1 नग

(ii) मोपका जिला बिलासपुर में एक 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना :—

(अ) ट्रांसफार्मर क्षमता 220/132 के. व्ही.-160 एमव्हीए.-1 नग.

(iii) पेन्ड्रारोड जिला-बिलासपुर में एक 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना :—

(अ) ट्रांसफार्मर क्षमता-220/132 के. व्ही.-160 एमव्हीए.-1 नग

(ब) ट्रांसफार्मर क्षमता 132/33 के. व्ही.-20 एमव्हीए.-2 नग

(iv) 132 के. व्ही. उपकेन्द्र

1. राजिम, सक्ती, मुंगेली, सारंगढ़, सरायपाली, कचना (रायपुर), धमधा, कवर्धा, अकलतरा, बैकुण्ठपुर एवं कुरूद में नए उपकेन्द्रों की स्थापना :— क्षमता 132/33 के. व्ही. 40 एमव्हीए. ट्रांसफार्मर 1 नग प्रत्येक उपकेन्द्र में.

2. डोंगरगढ़, कांकेर एवं मोपका में नये उपकेन्द्रों की स्थापना :— क्षमता 132/33 के. व्ही. 20 एमव्हीए. ट्रांसफार्मर 1 नग प्रत्येक उपकेन्द्र में.

(ब) ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि :—

1. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र रायपुर-1 में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
2. 132 के. व्ही. उपकेन्द बलौदाबाजार में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
3. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र भाटापारा में क्षमतावृद्धि-16 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
4. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र चांपा में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र अंबिकापुर में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. (अतिरिक्त).
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र दल्लीराजहरा में क्षमतावृद्धि - 16 एमव्हीए. (अतिरिक्त).
7. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र रायगढ़ में क्षमतावृद्धि - 160 एमव्हीए. (अतिरिक्त).
8. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र कोरबा पूर्व पावर हाउस में क्षमतावृद्धि - 2 × 100 से 2 × 160 एमव्हीए.
9. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र धमतरी में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
10. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र महासमुंद में क्षमतावृद्धि - 20 एमव्हीए. से 40 एमव्हीए.
11. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मोपका में क्षमतावृद्धि - 40 एमव्हीए. (अतिरिक्त).
12. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र उरला में क्षमतावृद्धि - 40 एमव्हीए. (अतिरिक्त).

(स) 220 के. व्ही. पारेषण लाइनें :—

1.	220 के. व्ही. भिलाई-बारसूर लाइन को टैप करके 220 के. व्ही. गुरूर उपकेन्द्र तक लूप इन लूप आउट लाइन.	-	लंबाई - 10 कि. मी.
2.	220 के. व्ही. कोरबा-भाटापारा लाइन को लूप इन लूप आउट करके प्रस्तावित मोपका (बिलासपुर) उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 20 कि. मी.
3.	220 के. व्ही. अमरकंटक - कोरबा डी. सी. डी. एस. लाइन को टैप करके पेण्ड्रा उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 08 कि. मी.
4.	220 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. लाइन से कोरबा (पूर्व) पावर हाउस के पावर हाउस क्र. 1 को पावर हाउस क्र. 2 को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 03 कि. मी.

(द) 132 के. व्ही. पारेषण लाइनें :—

1.	रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली-डीसीएसएस लाइन	-	लंबाई - 105.5 कि. मी.
2.	रायपुर-महासमुंद लाइन को लूप इन लूप आउट करके प्रस्तावित कचना-रायपुर उपकेन्द्र के लिए जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 3.4 कि. मी.
3.	महासमुंद-राजिम डीसीएसएस लाइन	-	लंबाई - 40 कि. मी.
4.	धमतरी-दल्लीराजहरा लाइन से लीलो करके प्रस्तावित गुरूर उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 05 कि. मी.

5.	गुरूर - कांकेर लाइन	-	लंबाई - 50 कि. मी.
6.	राजनांदगांव-बालाघाट को लूप इन लूप आउट करके प्रस्तावित डोंगरगढ़ उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 01 कि. मी.
7.	कोरबा-बिलासपुर डी.सी.डी.एस. को लीलो करके प्रस्तावित मोपका (बिलासपुर) उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 2.2 कि. मी.
8.	भाटापारा-मुंगेली डी.सी.एस.एस. लाइन	-	लंबाई - 54 कि. मी.
9.	रायगढ़-चांपा डी.सी.डी.एस. लाइन को लीलो करके प्रस्तावित सक्ती उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 01 कि. मी.
10.	132 के. व्ही. भिलाई-बालाघाट सर्किट I लाइन को लूप इन लूप आउट करके धमधा उपकेन्द्र तक लाइन.	-	लंबाई - 30 कि. मी.
11.	132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. भाटापारा-अकलतरा लाइन को लूप इन लूप आउट करके अकलतरा उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 03 कि. मी.
12.	132 के. व्ही. बांगो-विश्रामपुर लाइन को लूप इन लूप आउट करके बैकुंठपुर उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	-	लंबाई - 03 कि. मी.
13.	132 के. व्ही. गुरूर- कुरूद व्हाया धमतरी (डीसीडीएस) लाइन एवं कुरूद-राजिम (डीसीएसएस) लाइन.	-	लंबाई - 85 कि. मी.
14.	132 के. व्ही. मांढर-कचना डीसीएसएस लाइन	-	लंबाई - 9 कि. मी.

3. **अनुमानित लागत :—** उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग 243 करोड़ रुपये है.

4. **खम्बे, तार आदि लगाने का अधिकार :—** विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए तथा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नल पारेषण हेतु टावर, खम्बे, तार दीवार, ब्रेकेट, स्टे, यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को वे सभी अधिकार हैं, जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 भाग तीन की धारा 12 के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थागित या भविष्य में स्थापित किए जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त है.

5. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इसमें अभिरुचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी व्यक्ति को इन परियोजनाओं के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो वह अपना आपत्ति-पत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह के अंदर प्रस्तुत कर सकता है. इसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा.

Raipur, the 8th August 2002

No. CSEB/Sect./Notification/1757.—In accordance with the duties allocated and powers delegated under Indian Electricity (Supply) Act, 1948, the Chhattisgarh State Electricity Board has, under Section 28 of the Act, prepared the following schemes (Projects) for the construction of Extra High TensionTransmission Lines and sub-stations for transmission of power from power houses to the Load Centres in different parts of the State of Chhattisgarh.

Now in accordance with Section 29 (2) of the said act the schemes (Projects) have to be notified; so that any persons, Licensees, who have an interest in the schemes, may be informed of the same and they may: if they have any objection; lodge their objections. Now, therefore the CSEB hereby notifies the schemes (Projects) as here under :—

1. **Name** :— The projects shall be called projects for construction of 220 & 132 KV lines & Sub-stations and related works.

2. **Area** :— The Area of the projects shall be as under :—

(A) (I) Construction of 220 KV Sub-station at Gurur. Distt. Durg :—

(a) Transformer capacity 220/132 KV- 160 MVA - 1 No.
(b) Transformer capacity 132/33 KV- 40 MVA - 1 No.

(II) Construction of 220 KV Sub-station at Mopka Distt. Bilaspur.

(a) Transformer capacity 220/132 KV-160 MVA - 1 No.

(III) Construction of 220 KV Sub-station at Pendraroad Distt. Bilaspur.

(a) Transformer capacity 220/132 KV - 160 MVA - 1 No.
(b) Transformer capacity 132/33 KV - 20 MVA - 2 No.

(IV) Construction of 132 KV Sub-station at Rajim. Sakti, Mungeli, Sarangarh. Saraipali. Kachna (Raipur). Dhamdha, Kawardha, Akaltara, Baikunthpur & Kurud.

(a) Transformer capacity 132/33 KV- 40 MVA - 1 No. (at each S/S).

(V) Construction of 132 KV S/S at Dongargarh, Kanker & Mopka.

(a) Transformer capacity 132/33 KV-20 MVA-1 Nos. (at each S/S)

(B) Augmentation of Transformer Capacity :—

(i)	Augmentation at 132 KV S/S Raipur-I	:	20 MVA to 40 MVA
(ii)	Augmentation at 132 KV S/S Balodabazar	:	20 MVA to 40 MVA
(iii)	Augmentation at 220 KV S/S Bhatapara	:	16 MVA to 40 MVA
(iv)	Augmentation at 132 KV S/S Champa	:	20 MVA to 40 MVA
(v)	Augmentation at 132 KV S/S Ambikapur	:	20 MVA (Addl.)
(vi)	Augmentation at 132 KV S/S Dallirajhara	:	16 MVA (Addl.)
(vii)	Augmentation at 220 KV S/S Raigarh	:	160 MVA (Addl.)
(viii)	Augmentation at 220 KV S/S Korba (E) P.H.	:	2 x 100 MVA to 2 x 160 MVA
(ix)	Augmentation at 132 KV S/S Dhamtari	:	20 MVA to 40 MVA
(x)	Augmentation at 132 KV S/S Mahasamund	:	20 MVA to 40 MVA
(xi)	Augmentation at 132 KV S/S Mopka	:	40 MVA (Addl.)
(xii)	Augmentation at 220 KV S/S Urla	:	40 MVA (Addl.)

(C) 220 KV Transmission Lines :—

(i)	Tapping of 220 KV Bhilai-Barsoor Line for loop in and loop out at 220 KV S/S Gurur.	:	Length - 10 KM
(ii)	Tapping of 220 KV Korba-Bhatapara line for loop in loop out at 220 KV Sub-stn. Mopka (Bilaspur).	:	Length - 20 KM.
(iii)	Tapping of DCDS 220 KV Amarkantak-Korba line for supply to 220 KV S/Stn. Pendraroad.	:	Length -08 KM.
(iv)	220 KV DCDS Inter connection between PH-I & PH-II of Korba (East) P. H.	:	Length - 03 KM.

(D) 132 KV Transmission Lines :—

(i)	Raigarh-Sarangarh-Saraipali - DCSS Line	:	Length - 105.5 KM
(ii)	Tapping of 132 KV Raipur-Mahasamund line for supply to Kachna S/S.	:	Length - 3.4 KM
(iii)	Mahasamund-Rajim-DCSS Line	:	Lenght - 40 KM
(iv)	Tapping fo Dallirajhara-Dhamtari line for loop in loop out at Gurur S/S.	:	Length - 05 KM
(v)	Gurur-Kanker Line.	:	Length - 50 KM
(vi)	Tapping of 132 KV Rajnandgaon-Balaghat feeder for supply to Dongargarh S/S.	:	Length - 01 KM
(vii)	Tapping of 132 KV Korba-Bilaspur DCDS line for LILO at Mopka S/S.	:	Length - 2.2 KM
(viii)	Bhatapara-Mungeli DCSS line	:	Length - 54 KM
(ix)	Tapping of Raigarh-Champa DCDS line for supply to Sakti S/S.	:	Length - 1.0 KM
(x)	LILO of 132 KV Bhilai-Balaghat ckt I upto Dhamdha S/S.	:	Length - 30 KM
(xi)	Extn. of 132 KV DCDS Bhatapara-Akaltara line for LILO at Akaltara S/Stn.	:	Length - 03 KM
(xii)	Tapping of 132 KV Bango-Bishrampur line for LILO at Baikunthpur S/S.	:	Length - 03 KM
(xiii)	Gurur-Kurud via Dhamtari (DCDS) & Kurud-Rajim (DCSS).	:	Length - 85 KM
(xiv)	Mandhar-Kachna Line (DCSS)	:	Length - 09 KM

3. **Estimated Cost** :— The estimated cost of above works in Rs. 243 crores.

4. **Rights to erect Poles & Stringing etc.** :— Under Section 42 of I.E. Supply (Act) 1948; the Chhattisgarh State Electricity Board has all the powers to erect Towers, Poles, Brackets, Stay & other equipments and stringing of lines for the transmission of Power & Telephonic & Telegraphic Signals which are conferred to the Indian Telephone & Telegraph authority under Indian Telegraphic Act, 1885 Part-III Section-12 for the maintenance of existing or future telegraphic network.

5. It is therefore notified that any person having interest in any of the aforesaid projects may lodge his objections if any, within 2 months from the date of publication of this notification. Any objections received there after shall not be considered.

ए. एम. के. भरोस,
सचिव.